कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक–72 (एक–दो–01)07 सागर, दिनांक 17.05.2025

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 45/(एक–दो–01)07 दिनांक 15.04.2025 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी आदेशों के अतिरिक्त निम्नानुसार कण्डिका समाहित करता हूँ।

01. समस्त रिक्त न्यायालय, पॉक्सो एक्ट सागर द्वारा निराकृत विशेष सत्र प्रकरण से संबंधित अपील न्यायालय से प्राप्त होने वाले आदेश एवं उनसे संबंधित समस्त अनुशांगिक कार्यवाहियां **श्रीमती नेहा श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर** के द्वारा संपादित की जावेगीं, उनके अवकाश पर होने या अनुपस्थिति की दशा में उनके प्रभार के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा संपादित की जावेगी।
02. अतिरिक्त सत्र न्यायालय सागर के पूर्व पीठासीन अधिकारियों के न्यायालय जो(वर्तमान में रिक्त न्यायालय) हैं जिनके संबंध में मूल कार्यविभाजन पत्रक में स्पष्ट उल्लेख किया गया है को छोड़कर, उक्त पीठासीन अधिकारियो व्दारा निराकृत सत्र प्रकरणों, व अपील प्रकरणों से संबंधित एवं उनसे संबंधित सभी अनुशांगिक कार्यवाही **विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम क्रमांक 10 सागर** द्वारा संपादित की जावेगी एवं उनके अवकाश/ अनुपस्थिति की दशा में उनके प्रभार रखने वाले न्यायालय द्वारा संपादित की जावेगी।
03. यदि किसी रिक्त न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरण में आरोपी फरार होकर पुनः गिरफ्तार कर प्रभार वाले न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उससे संबंधित पुनर्स्थापित सत्र प्रकरण प्रभार रखने वाले न्यायालय में अंतरित हुआ समझा जावेगा एवं उक्त न्यायालय ऐसे प्रकरण का विचारण कर सकेगे।

17.05.2025

(महेश कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

3007

पृष्ठाकंन क्रमांक (एक–दो–01)07 सागर दिनांकः 17.05.2025

प्रतिलिपिः–

1. समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना सागर ।
2. ऑब्जेक्शन क्लर्क सागर।
3. प्रस्तुतकार/निष्पादन लिपिक, प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर ।
4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)
17.05.2025